दिनांक 01.12.2024
प्रेस विज्ञप्ति 01/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना सिरसागंज</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 48 हजार 600 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 30.11.2024 को थाना सिरसागंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला खंगर रोड पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मोहन लाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 48 हजार 600 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.11.2024 को थाना सिरसागंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिरसागंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिरसागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मोहन लाल निवासी गढिया नैन थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 48 हजार 600 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद हापुड़/थाना हापुड़ देहात</u>

- **09 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **28 हजार रूपये नगद**
- **लगभग 05 लाख रूपये कीमत के भारी मात्रा में कॉपर**
- **03 मोबाइल फोन, 01 डीबीआर**
- **घटना में प्रयुक्त 02 ई–रिक्शा आदि बरामद**

दिनांक 01.12.2024 को थाना हापुड़ देहात व थाना हापुड़ नगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टियाला अण्डरपास के पास से 09 अभियुक्तों 1–मनीष 2–अभिषेक 3–अमित 4–छुट्टन 5–प्रभाकर 6–मनोज 7–लोकेश 8–हिमांशु पुत्र राजिन्द्र 9–हिमांशु पुत्र जगवीर को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 28 हजार रूपये नगद, लगभग 05 लाख रूपये कीमत के भारी मात्रा में कॉपर, 03 मोबाइल फोन, 01 डीबीआर, घटना में प्रयुक्त 02 ई–रिक्शा आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना हापुड़ देहात क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा डकैती की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त मनीष शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अमरोहा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना हापड़ देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनीष निवासी पूरनपुर थाना डिडौली जनपद अमरोहा।

2–अभिषेक निवासी दस्तोई रोड आदर्श नगर कॉलोनी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।

3–अमित निवासी दस्तोई रोड आदर्श नगर कॉलोनी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।

4–छुट्टन निवासी चकफेरी थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।

5–प्रभाकर निवासी जसरूप नगर थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।

6–मनोज निवासी दादरी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।

7–लोकेश निवासी मऊ थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा।

8–हिमांशु पुत्र राजिन्द्र निवासी जसरूप नगर थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।

9–हिमांशु पुत्र जगवीर निवासी जसरूप नगर थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–28 हजार रूपये नगद।

2–लगभग 05 लाख रूपये कीमत के भारी मात्रा में कॉपर।

3–03 मोबाइल फोन, 01 डीबीआर।

4–घटना में प्रयुक्त 02 ई–रिक्शा आदि।

जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली नगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 10 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 30.11.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सतईपुरवा रोड़ रानीपुरवा जाने वाले रास्ते के पास से अभियुक्त मोबिन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 10 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोबिन निवासी आवास विकास कॉलोनी निकट आरपी लान थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1—चोरी के 10 हजार रूपये नगद।

2—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण

3—01 मोबाइल फोन आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना छपार

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 04 हजार 530 रूपये नगद**
- **चोरी के 15 किलोग्राम अवैध एल्युमिनियम तार**
- **घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 01.12.2024 को थाना छपार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बसेडा मार्ग माण्डला रजवाहा पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1—चिन्टू उर्फ चिराग 2—अकराश को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 04 हजार 530 रूपये नगद, चोरी के 15 किलोग्राम अवैध एल्युमिनियम तार, घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना छपार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छपार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, एल्युमिनियम तार आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी

हैं, जिसमें अभियुक्त चिन्टू उर्फ चिराग के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग एवं अभियुक्त अकराश के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना छपार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–चिन्टू उर्फ चिराग निवासी बिजौली थाना खरखोदा जनपद मेरठ, हालपता समर गार्डन थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

2–अकराश निवासी न्यू शानदार कॉलोनी मिलन पैलेस टावर के पास थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–चोरी के माल बिक्री के 04 हजार 530 रूपये नगद।

2–चोरी के 15 किलोग्राम अवैध एल्युमिनियम तार।

3–घटना में प्रयुक्त 01 पिकअप वाहन आदि।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कोतवाली टाण्डा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **09 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 01.12.2024 को थाना कोतवाली टाण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गौरा गूजर हाईवे के पास से 02 अभियुक्तों 1–टाईगर उर्फ जुगनू 2–राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 09 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त टाईगर उर्फ जुगनू के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर, आजमगढ़ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त राहुल

के विरूद्ध जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली टाण्डा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—टाईगर उर्फ जुगनू निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना कोतवाली जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

2—राहुल निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना कोतवाली जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1—09 हजार रूपये नगद।

2—01 मोटर साइकिल।

जनपद मऊ/थाना दोहरीघाट

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **70 जीवित, 20 खोखा कारतूस विभिन्न बोर बरामद**

दिनांक 01.12.2024 को थाना दोहरीघाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोंठा बाईपास के पास से 02 अभियुक्तों 1—सुनील 2—गिरजाशंकर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 70 जीवित, 20 खोखा कारतूस विभिन्न बोर बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना दोहरीघाट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुनील निवासी हासापुर, सूरजपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

2—गिरजाशंकर निवासी हासापुर, सूरजपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–70 जीवित, 20 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

जनपद सहारनपुर/थाना नकुड़

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 06 लाख रूपये कीमत के 100 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 30.11.2024 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घाटमपुर के पास से अभियुक्त सारिक उर्फ सिटू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 06 लाख रूपये कीमत के 100 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सारिक उर्फ सिटू निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लगभग 06 लाख रूपये कीमत के 100 ग्राम अवैध स्मैक।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य लगभग 185 किलो ग्राम अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 55 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 01–12–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य अभियुक्त जमशेद एवं जाहुल को लगभग 185 किलो ग्राम अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 55 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः</u>

1— जमशेद पुत्र जमील निवासी ग्राम सिरोही थाना घोंच जनपद फरीदाबाद हरियाणा।

2— जाहुल पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम धुलावट थाना तावडू जनपद नूॅह, हरियाणा ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों से कुल बरामदगीः</u>

1— 185 किलो ग्राम अवैध गांजा (कुल 37 पैकेट)
(जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 55 लाख रूपये)

2— 01 ट्रक नम्बर—आरजे—11—जीसी—1098

<u>गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान—</u>

दिनांक 01—12—2024 समय 13.05 बजे, भरतपुर रोड पर ग्राम मुडेसी से आगे थाना हाईवे बार्डर जनपद मथुरा क्षेत्र।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदो में मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके अनुपालन में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर के निर्देशन एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री अवध नारायण चौधरी एसटीएफ, फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 यूनिट गौतमबुद्धनगर की टीम आज दिनांक 01—12—2024 को जनपद मथुरा में भ्रमणशील थी कि उसी दौरान एसटीएफ टीम को विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक कन्टेनर जिसमें चोरी/लूट जैसा संदिग्ध माल है, जो मथुरा के किसी आउटर मार्ग के रास्ते नूॅह, हरियाणा जायेगा। इस सूचना पर विश्वास करके एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा थाना हाईवे मथुरा पुलिस को सूचना से अवगत कराते हुए उनको साथ लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर कन्टेनर की तलाशी ली गयी तो केबिन की छत के ऊपर बने बॉक्स में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) छिपाकर रखा हुआ पाया गया, जिस पर कब्जे में लेते हुए 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त जमशेद ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 47 साल है। वर्ष–2004 से ट्रक ड्राईवरी का काम कर रहा है। बताया कि गाडी मालिक शाकिर (सेठ) पुत्र खुटी निवासी ग्राम गुनावट थाना तावडू जनपद नॅूह हरियाणा की बहन उसके गॉव में थी तो उसी दौरान उसकी जान पहचान/मुलाकात शाकिर (सेठ) (जो उडीसा से अवैध रूप से गांजे की सप्लाई करने का काम करता है) से हो गयी थी और फिर पैसों के लालच में वह (जमशेद) भी शाकिर सेठ के कहने पर इस अवैध गांजे के धंधे में लग गया था। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि शाकिर सेठ, ग्राम नॅूह हरियाणा से ही अभियुक्त जमेशद को गांजा लाने के लिए उडीसा भेजता था और उडीसा में शाकिर सेठ के कहने पर आजम नाम का व्यक्ति गाडी में गांजा भरकर जमशेद उपरोक्त को देता था। उसके बाद अभियुक्त जमशेद ट्रक में छिपाकर गांजा उडीसा से नॅूह हरियाणा लाता था और शाकिर सेठ द्वारा बताये गये स्थान पर पहॅुचाता था, जिसकी एवज में शाकिर सेठ अभियुक्त जमशेद को प्रत्येक चक्कर पर 25 हजार रूपया देता था। वर्ष–2020 में क्राईम ब्रॉच पलवल हरियाणा द्वारा अभियुक्त जमशेद एवं शाकिर सेठ को अवैध गांजे के पकडा गया था तथा अभियुक्त जमशेद वर्ष 2014 में धारूखेडा, भिवानी हरियाणा से चोरी के मुकदमें में जेल गया था। इसके अतिरिक्त गिरफ्तार अभियुक्त जाहुल ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 30 साल है वह सात साल से ड्राईवरी का काम कर रहा है और गाडी मालिक शाकिर सेठ उसका रिश्ते में फूफा लगता है। शाकिर सेठ ने ही उसको उडीसा राज्य से अवैध गांजा नॅूह हरियाणा में लाने के लिए तैयार किया था और वह भी पैसों के लालच में आकर अभियुक्त जमशेद के साथ मिलकर ट्रक में उडीसा से नॅूह हरियाणा गांजा लाने का काम करने लगा, जिसकी एवज में उसको प्रत्येक चक्कर पर 25 हजार रूपया मिलता था। अभियुक्त जाहुल ने यह भी बताया कि वर्ष 2023 में वह गुजरात में शराब के ट्रक को ले जाते हुए पकडा गया था।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्व थाना हाईवे जनपद मथुरा पर मु0अ0सं0ः 1137/2024 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———————